राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.4(7)(4)पीसी/ग्राविप/बी.आर.जी.एफ./आउटसोर्सिंग/2006/109 जयपुर,दिनांक: 3.9.07

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर,
झालावाड़, जैसलमेर,जालौर, टोंक, सवाईमाधोपुर,
सिरोही, उदयपुर, करौली।

विषयः बी.आर.जी.एफ. योजना के तहत क्रियान्वयन हेतु पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सेवायें अनुबंध पर/आउटसोर्सिंग पर लिये जाने बाबत।

भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 12 जिलों में वर्ष 2006–07 से क्रियान्वित की जा रही बी.आर.जी. एफ. कार्यक्रम की क्षमता निर्माण योजना के तहत उक्त चयनित जिलों की पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर विभिन्न सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने के निम्नानुसार प्रावधान किये गये थेः–

क्र.सं.	सेवा का नाम	देय मानदेय	पद संख्या
1	तकनीकी विशेषज्ञ (सिविल इंजिनियर)	अधिकतम रू0. 6000/प्रति माह	83, प्रत्येक पंचायत समिति के लिये 1 पद
2.	वेटनरी विशेषज्ञ (वेटनरी डॉक्टर)	अधिकतम रू0 5000/प्रति माह	83, प्रत्येक पंचायत समिति के लिये 1 पद
3.*	कृषि विशेषज्ञ (कृषि पर्यवेक्षक)	अधिकतम रू0 4000/प्रति माह	83, प्रत्येक पंचायत समिति के लिये 1 पद
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (डाटा एन्ट्री का कार्य)	अधिकतम रू0 2000/प्रति माह	353, करिश्मा प्रोजेक्ट के तहत चयनित जिलों की कम्प्यूटरीकृत 353 ग्राम पंचायतों में 1–1 कम्प्यूटर आपॅरेटर
5.	लेखा सहायक	7200/– प्रतिवर्ष	1000, चयनित जिलों की प्रत्येक पंचायत समिति की 12–13 ग्राम पंचायतों में 1–1 लेखा सहायक

आउटसोर्सिंग के लिये उक्तानुसार राशियों का हस्तान्तरण सम्बन्धित पंचायत समितियों के पी.डी.खाते में किया जा चुका है।

संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के क्रम में कृषि पर्यवेक्षकों का पंचायत समितियों को हस्तान्तरण एवं ग्राम पंचायतों के लेखा संधारण में तकनीकी सहायता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार अब उपरोक्तानुसार वर्णित सेवाओं के स्थान पर निम्नानुसार विभिन्न सेवाओं की आउटसोर्सिंग पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से की जा सकेगीः–

क्र.सं.	सेवा का नाम	देय मानदेय	पद संख्या
1	तकनीकी विशेषज्ञ (सिविल इंजिनियर)	अधिकतम रू0. 6000/प्रति माह	83, प्रत्येक पंचायत समिति के लिये 1 पद। सेवाओं की आउटसोर्सिंग जिला परिषद के स्तर से की जाकर सेवाये पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध कराई जावेगी। राशि का भुगतान पंचायत समिति के पी.डी. खातें में योजनान्तर्गत हस्तान्तरित राशि से किया जावेगा।
2.	वेटनरी विशेषज्ञ (वेटनरी डॉक्टर)	अधिकतम रू0 5000/प्रति माह	83, प्रत्येक पंचायत समिति के लिये 1 पद। प्रत्येक पंचायत समिति के लिये 1 पद की सेवाओं की आउटसोर्सिंग जिला परिषद के स्तर से की जाकर सेवाये पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध कराई जावेगी। राशि का भुगतान पंचायत समिति के पी.डी. खातें में योजनान्तर्गत हस्तान्तारित राशि से किया जावेगा।
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (डाटा एन्ट्री का कार्य)	अधिकतम रू0 2000/प्रति माह	353, करिश्मा प्रोजेक्ट के तहत चयनित जिलों की कम्प्यूटरीकृत 353 ग्राम पंचायतों में 1–1 कम्प्यूटर आपॅरेटर। सेवाओं की आउटसोर्सिंग जिला परिषद के

			स्तर से की जाकर सेवायें ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जायेंगी। राशि का भुगतान पंचायत समिति के पी.डी. खातों में योजनान्तर्गत हस्तान्तरित राशि से किया जावेगा।
4.	लेखा सहायक	अधिकतम 4900/— प्रति माह (अधिकतम 9 माह के लिये)	कार्यक्रम के तहत चयनित जिले के प्रत्येक ब्लॉक के लिये 3 लेखा सहायकों की सेवाओं की आउटसोर्सिंग जिला परिषद के स्तर से की जाकर सेवायें पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध कराई जायेंगी। राशि का भुगतान पंचायत समिति के पी.डी. खातों में आधार पर योजनान्तर्गत हस्तान्तरित राशि से किया जावेगा।

बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक व्यय के तहत उक्त सेवायें पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से नियमानुसार सेवा अनुबंध (Service contract) पर उनके सामने अंकित शैक्षणिक योग्यता, मानदेय/एकमुश्त राशि एवं पद संख्या, सेवा अनुबंध के तहत कार्मिक से अपेक्षित कार्य कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन लिये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है । **इस स्वीकृति के फलस्वरूप पंचायत समिति के पी.डी. खातों में कृषि विशेषज्ञों की सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिये हस्तान्तरित राशि का उपयोग लेखा सहायकों की सेवाओं की आउटसोर्सिंग के भुगतान हेतु किया जा सकेगा।**

क्र.सं.	सेवा का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	पद संख्या	सेवा अनुबंध में अपेक्षित कार्य
1	तकनीकी विशेषज्ञ (सिविल इंजिनियर)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई.—सिविल/डिप्लोमाधारक	83, प्रत्येक पंचायत समिति के लिये 1 पद	परिशिष्ट सं. 1 अनुसार
2.	वेटनरी विशेषज्ञ (वेटनरी डॉक्टर)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से B.V.Sc. & A.H.	83, प्रत्येक पंचायत समिति के लिये 1 पद	परिशिष्ट सं. 1 अनुसार
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (डाटा एन्ट्री का कार्य)	किसी स्थापित संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा	353, करिश्मा प्रोजेक्ट के तहत चयनित जिलों की कम्प्यूटरीकृत 353 ग्राम पंचायतों में 1—1 कम्प्यूटर ऑपरेटर	परिशिष्ट सं. 1 अनुसार
4.	लेखा सहायक	बी.काम	1000, चयनित जिलों की प्रत्येक पंचायत समिति की 12—13 ग्राम पंचायतों में 1—1 लेखा सहायक	परिशिष्ट सं. 1 अनुसार

पंचायत समितिवार/ग्राम पंचायतवार आउटसोर्सिंग की जाने वाली सेवाओं का विवरण एवं योजनान्तर्गत हस्तान्तरित राशि का विवरण परिशिष्ट 2 पर अंकित है।

शर्तें:—

1. सेवा अनुबंध पर एजेंसियां से के माध्यम से खुली निविदाएं (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित की जाकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्धारित योग्यता एवं मानदेय के अनुसार संबंधित जिला परिषद द्वारा ली जा सकेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐजेंसी के द्वारा सेवा प्रदान करने का अनुबंध होगा। कार्मिक को योजनान्तर्गत पद विशेष पर सीधा अनुबंध पर नहीं रखा जायेगा। पूर्व सैनिकों एवं उनकी एजेंसी को इस सेवा अनुबंध में पात्र होने पर कार्य आदेश देने में प्राथमिकता पर विचार किया जा सकता है।
2. सेवा अनुबंध एक वर्ष का होगा।
3. सेवा पर लगाये गये कार्मिकों की अन्य सेवा संबंधी शर्तें यथा आकस्मिक अवकाश, यात्रा एवं चिकित्सा भत्ते आदि एजेंसी की शर्तों के अनुसार एजेंसी द्वारा ही देय होगा। सेवा प्राप्त करने वाली संस्था का कोई दायित्व नहीं होगा।
4. सेवा अनुबंध के दौरान सेवा पर लगे कार्मिक विभाग से संबंधित सभी आफिसियल सूचनाएं प्राप्त की जायेगी व राज्य के नियमानुसार गोपनीय रखी जायेगी।

5. उक्त सेवाओं पर होने वाला समस्त व्यय क्षमता निर्माण हेतु पंचायत समितियों को हस्तान्तरित राशि से किया जावेगा।
6. अनु.जाति/जनजाति के लिये निर्धारित आरक्षण का पालना भी सुनिश्चित की जावेगी।

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उक्त शर्तों के आधार पर निविदायें आमंत्रित कर सेवा अनुबंध कर योजनान्तर्गत कार्यों का संपादन कर सकेंगे।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. निजि सचिव, मान. मंत्री./मा. राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव/अति.मुख्य सचिव (विकास), राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।
5. जिला कलेक्टर– बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जालौर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली।
6. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्– बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जालौर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति............को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति की प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत को भी उपलब्ध करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव (आयोजना)

आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिये निर्धारित जॉब चार्ट

1. तकनीकी विशेषज्ञ (सिविल इंजिनियर)

1. पंचायत समिति के अर्न्तगत निर्माण कार्यों की आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना। सिविल निर्माण से सम्बन्धित नवीन तकनीकी की जानकारी का प्रचार–प्रसार कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करना एवं कार्यों का मासिक निरीक्षण करना।
2. जिला योजनाओं /बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम की योजनायें तैयार करने में ग्राम सभा/वार्ड सभा को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाना।
3. जिला योजनाओं /बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी परीक्षण करना।
4. बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम में स्वीकृत कार्यों की प्रगति की सूचना संकलित कर निर्देशानुसार उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के लिये विकास अधिकारी को प्रस्तुत करना।
5. विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत पंचायत समिति स्तर/ग्राम स्तर पर आयोजित सिविल इंजिनियर से जुड़े प्रशिक्षणों में उपस्थित रहकर प्रशिक्षण में सहयोग देना।
6. अन्य सम्बन्धित कार्य जो निर्माण कार्यों से जुड़े हों।

2. वेटनरी विशेषज्ञ (वेटनरी डॉक्टर)

1. पशुओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, आहार पशुपालन एवं पशुओं के रख–रखाव में विकसित नवीन तकनीकी जानकारी पशुपालको को उपलब्ध करवाना एवं ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
2. दूध विपणन हेतु सहकारी संस्थाओं से सम्पर्क कर दूध विपणन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. पशुपालन शिविरों में उपस्थित होकर पशुपालको को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग करना।
4. पशुओं से सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करना।
5. जिला योजनाओं /बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम की योजनायें तैयार करने में ग्राम सभा/वार्ड सभा को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाना।
6. पशु बीमा योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाना।
7. पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाना।
8. पशुपालन व्यवसाय हेतु उपलब्ध लोन सुविधाओं की जानकारी पशुपालको को देना।
9. चारागाह विकास हेतु पशुपालको को प्रेरित करना।
10. पशुधन विकास हेतु सम्बन्धित अन्य कार्य।

3. कम्प्यूटर आपरेटर

1. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का कार्य करना/करवाना।
2. विभाग द्वारा प्रयुक्त साफ्टवेयर में ग्राम पंचायतों का रिकार्ड संधारण करना।
3. करिश्मा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित टावर इत्यादि का संधारण करना।
4. ग्राम सेवक व ग्राम पंचायत जन–प्रतिनिधियों को कम्प्यूटर संचालन के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी उपलब्ध करवाना।

4. लेखा सहायक

प्रत्येक पंचायत समिति के स्तर पर 3 लेखा सहायको की सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जावेगी। इन लेखा सहायकों का मुख्य कार्य पंचायत समिति के अधीन समस्त ग्राम पंचायतों के लेखों का सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं ग्रामीण मार्गदर्शिका के नियमों के अनुसार संधारण कराना होगा। इसी परिपेक्ष्य में लेखा सहायकों के कार्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाते है:–

1. ग्राम पंचायत के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु संधारित रोकड़ पुस्तिकाओं, बैंक खातो एवं संबंधित रिकार्ड का संधारण करने मे ग्राम सेवक को सहयोग प्रदान करना तथा पंचायत समिति को वांछित सूचनायें समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना।
2. ग्राम सभाओं में उपस्थित होकर ग्राम सभा की मांग अनुसार आवश्यक वित्तीय सूचना उपलब्ध करवाना एवं सामाजिक अंकेक्षण में सहयोग करना एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र।
3. विभिन्न योजनाओं की उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करने में ग्राम सेवक का सहयोग करना।

पंचायत समितिवार/ग्रामवार आउटसोर्सिंग की जाने वाली सेवाओं की संख्या व उपलब्ध राशि का विवरण (राशि लाखों में)

		तकनीकी विशेषज्ञ		वेटनरी विशेषज्ञ		कम्प्यूटर ऑपरेटर		लेखा सहायक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
	जिला–बांसवाड़ा								
1	पंचायत समिति आनन्दपुरी	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
2	पंचायत समिति बागीदौरा	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
3	पंचायत समिति बांसवाड़ा	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.416
4	पंचायत समिति गढ़ी	1	0.72	1	0.60	13	3.12	3	1.344
5	पंचायत समिति घाटोल	1	0.72	1	0.60	7	1.68	3	1.344
6	पंचायत समिति कुशलगढ़	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
7	पंचायत समिति पीपलखूंट	1	0.72	1	0.60			3	1.344
8	पंचायत समिति सज्जनगढ़	1	0.72	1	0.60	7	1.68	3	1.344
	जिला–बाड़मेर								
9	पंचायत समिति बालोतरा	1	0.72	1	0.60	7	1.68	3	1.344
10	पंचायत समिति बाड़मेर	1	0.72	1	0.60	9	2.16	3	1.344
11	पंचायत समिति धोरीमन्ना	1	0.72	1	0.60	7	1.68	3	1.344
12	पंचायत समिति शिव	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
13	पंचायत समिति सिणधरी	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
14	पंचायत समिति सिवाना	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
15	पंचायत समिति बायतु	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.344
16	पंचायत समिति चौहटन	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
	जिला–चित्तौड़गढ़								
17	पंचायत समिति अरनोद	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
18	पंचायत समिति बड़ी सादड़ी	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
19	पंचायत समिति बेगूं	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
20	पंचायत समिति भदेसर	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
21	पंचायत समिति भैसंरोड़गढ़	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
22	पंचायत समिति भूपालसागर	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
23	पंचायत समिति चित्तौड़गढ़	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.416
24	पंचायत समिति छोटीसादड़ी	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
25	पंचायत समिति डूंगला	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
26	पंचायत समिति गंगरार	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
27	पंचायत समिति कपासन	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
28	पंचायत समिति निम्बाहेड़ा	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
29	पंचायत समिति प्रतापगढ़	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.416
30	पंचायत समिति राशमी	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
	जिला–डूंगरपुर								
31	पंचायत समिति आसपुर	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
32	पंचायत समिति बिछीवाड़ा	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
33	पंचायत समिति डूंगरपुर	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.416
34	पंचायत समिति सागवाड़ा	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344

		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
35	पंचायत समिति सीमलवाड़ा	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.344
	जिला–जैसलमेर								
36	पंचायत समिति जैसलमेर	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
37	पंचायत समिति सम	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
38	पंचायत समिति सांकड़ा	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
	जिला–जालौर								
39	पंचायत समिति आहोर	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
40	पंचायत समिति भीनमाल	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
41	पंचायत समिति जालौर	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
42	पंचायत समिति जसवंतपुरा	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
43	पंचायत समिति रानीवाड़ा	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
44	पंचायत समिति सांचौर	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
45	पंचायत समिति सायला	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
	जिला–झालावाड़								
46	पंचायत समिति बकानी	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
47	पंचायत समिति डग	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.344
48	पंचायत समिति झालरापाटन	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
49	पंचायत समिति खानपुर	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
50	पंचायत समिति मनोहरथाना	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.344
51	पंचायत समिति पिड़ावा	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
	जिला–करौली								
52	पंचायत समिति हिण्डौन	1	0.72	1	0.60	8	1.92	3	1.344
53	पंचायत समिति करौली	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
54	पंचायत समिति नादौती	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
55	पंचायत समिति सपोटरा	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.344
56	पंचायत समिति टोडाभीम	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
	जिला–सवाई माधोपुर								
57	पंचायत समिति सवाई माधोपुर	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
58	पंचायत समिति खण्डार	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.344
59	पंचायत समिति बौली	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
60	पंचायत समिति गंगापुर सिटी	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
61	पंचायत समिति बामनवास	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
	जिला–सिरोही								
62	पंचायत समिति सिरोही	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
63	पंचायत समिति शिवगंज	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
64	पंचायत समिति रेवदर	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
65	पंचायत समिति पिण्डवाड़ा	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
66	पंचायत समिति आबूरोड	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
	जिला–टोंक								
67	पंचायत समिति टोंक	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.344
68	पंचायत समिति निवाई	1	0.72	1	0.60	5	1.20	3	1.344
69	पंचायत समिति टोडारायसिंह	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
70	पंचायत समिति मालपुरा	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344
71	पंचायत समिति देवली	1	0.72	1	0.60	7	1.68	3	1.344
72	पंचायत समिति उनियारा	1	0.72	1	0.60	3	0.72	3	1.344

		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	जिला–उदयपुर								
73	पंचायत समिति मावली	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
74	पंचायत समिति सलूम्बर	1	0.72	1	0.60	9	2.16	3	1.344
75	पंचायत समिति झाडोल	1	0.72	1	0.60			3	1.344
76	पंचायत समिति बड़गांव	1	0.72	1	0.60	4	0.96	3	1.344
77	पंचायत समिति खेरवाड़ा	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
78	पंचायत समिति सराड़ा	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
79	पंचायत समिति गिर्वा	1	0.72	1	0.60	1	0.24	3	1.344
80	पंचायत समिति धरियावद	1	0.72	1	0.60	6	1.44	3	1.344
81	पंचायत समिति भीण्डर	1	0.72	1	0.60	8	1.92	3	1.344
82	पंचायत समिति गोगुन्दा	1	0.72	1	0.60	2	0.48	3	1.344
83	पंचायत समिति कोटड़ा	1	0.72	1	0.60			3	1.344
		83	59.76	83	49.80	353	84.72	249	111.840